

कार्यालय नगरपालिका परिषद वारासिवनी जिला - बालाघाट [21/3/2022] परिशिष्ट 3
विधानसभा- प्रश्न क्रमांक 3074 प्रश्नांश (ख)

आवंटन की प्रक्रिया	आवंटन नाम [क. 3074]	क्रमांक	आरक्षण की स्थिति	म.प्र. राजपत्र असाधारण भोपाल दिनांक 14 फरवरी 2016 की कंडिका (9)(ग) तथा नियम (5) (दो) परिषद की बैठक दिनांक 11/12/2019 के निर्णय अनुसार
1 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री खडक सिंह आ. श्री मिश्रीलाल कटरे	1	अनारक्षित	-
2 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्रीमती शहजादी बेगम बै. अ. शब्बीर शेख	2	विधवा एवं परित्यागता महिला	-
3 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री मनोज तुरकर आ. कुंजीलाल तुरकर निवासी गोंदिया (महाराष्ट्र)	3	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित
4 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्रीमती दुर्गा जौ. श्री अजय बिसेन	4	महिला	-
5 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री नरेन्द्र आ. श्री रामलाल राहंगडाले	5	अनारक्षित	-
6 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री जितेन्द्र आ. श्री कपूरचंद आड़े	6	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
7 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री आनन्द बिसेन आ. ढालसिंह बिसेन	7	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री महेश आ. श्री विजय सोहाने	8	अनारक्षित	-
9 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री मनीष आ. श्री ददनप्रसाद मिश्रा	9	अनारक्षित	-
10 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री योगेश आ. श्री कोण्डूजी डोंगरे	10	अनुसूचित जाति	-
11 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री प्रवीण कुमार आ. श्री रतनलाल वैद्य	11	अनुसूचित जाति	-
12 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्रीमती नाजिया खान जौ. नसीम खान	12	महिला	-
13 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री परेश आ. श्री सुशील जायसवाल	13	अनारक्षित	-
14 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्रीमती देवकी जौ. बालिकचंद ऐड़े	14	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
15 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री मो. कलाम खान आ. मो. सलाम खान	15	शिक्षित बेरोजगार	-
16 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री राजबहादुर आ. श्री गयाप्रसाद शुक्ला	16	अनारक्षित	-
17 आम निलामी/निविदा प्रक्रिया	श्री स्वपनिल उर्फ रोमी आ. श्री सुरेश कुमार मिश्रा	17	अनारक्षित	-

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं
आवास विभाग मंत्रालय
भोपाल (म.प्र.)

अधीक्षक
प्रा.ख. 02
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

राजाभोज शापिंग काम्पलेक्स की दुकान क्र. 03 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है कि, निकाय द्वारा 13 बार नीलामी करने पर आरक्षित वर्ग की बोली ना आने पर सामान्य वर्ग में आरक्षित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि, राजाभोज शापिंग काम्पलेक्स की दुकान क्र. 03 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित हैं, निकाय द्वारा 13 बार नीलामी करने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा नीलामी में भाग नहीं लिया गया। म०प्र० राजपत्र असाधारण भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2016 द्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधि. क्र. 4- एफ-1-1-2016- अठारह - 3-मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23, सन 1956) की धारा 80 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) की धारा 109 के साथ पठित धारा 355 के नियम 9 की कंडिका (ग) में उल्लेखित आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर, उक्त सम्पत्ति को नियम 5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सामान्य वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आबंटित किया जा सकेगा।

विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि, म०प्र० राजपत्र असाधारण भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2016 के नियम 9 की कंडिका (ग) के अनुसार राजाभोज शापिंग काम्पलेक्स की दुकान क्र. 03 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित दुकान को सामान्य वर्ग को आबंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत।

अधीक्षक
नगरपालिका परिषद
बालाघाट

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बालाघाट

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं
आवास विभाग मंत्रालय
भोपाल (म.प्र.)

अधीक्षक
श्रा. 02
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

12/11/19